न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी, जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार सिंघल, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र सख्या : 03/84/2019
तारीख दायरा : 27.05.2019

उनवान

1. राधाकिशन मीना पुत्र श्री मोतीराम मीना जाति मीना निवासी ग्राम बैरेर तहसील रैणी जिला अलवर।

.....प्रार्थी।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय अलवर।
2. तहसीलदार साहब रैणी तहसील रैणी जिला अलवर।

.....अप्रार्थीगण।

(प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट.)
उपस्थित – श्री रविन्द्र मीना एडवोकेट

न्यायालय द्वारा :–

:: निर्णय :: दिनांक : 23.09.2022

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल खाता संख्या 271 आराजी खसरा नम्बर 210/1.16, 211/0.51, 432/0.57, 433/0.54, 441/1.00 कुल किता 5 कुल रकबा 3.78 है0 व खाता संख्या 298 आराजी खसरा नम्बर 207/0.51 है0 वाके ग्राम बैरेर तहसील रैणी (अलवर) में स्थित है। जिस आराजी में प्रार्थी जमाबन्दी सम्वत 2069–72 के अनुसार काबिज रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है और अन्य सह खातेदारान के साथ आराजी को अपने हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजी की हाल जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज है जिसमें खाता संख्या 271 की जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम राधाकिशन उर्फ बिशना व खाता संख्या 298 में बिशना उर्फ राधाकिशन दर्ज है जो त्रुटिपूर्ण नाम उसकी खातेदारी की उक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में बदस्तूर दर्ज चला आ रहा है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम राधाकिशन मीना है, जो नाम ही प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड तथा अन्य समस्त शैक्षणिक व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है जबकि बिशना नाम से प्रार्थी का कोई संबंध नही है और ना ही प्रार्थी को बिशना नाम से जाना गया है ऐसी स्थिति में उक्त जमाबन्दियों में प्रार्थी के वास्तविक नाम राधाकिशन मीना के साथ बिशना दर्ज किये जाने का कोई औचित्य नही है। अन्त में निवेदन किया कि उपरोक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम राधाकिशन उर्फ बिशना व बिशना उर्फ राधाकिशन के स्थान पर राधाकिशन मीना दर्ज करते हुए बिशना नाम को हजफ किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार रैणी से प्रकरण में तथ्यात्मक रिर्पोट प्राप्त की गई है। तहसीलदार रैणी ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि "हाल रिकॉर्ड जमाबन्दी वाके ग्राम बैरेर की जमाबन्दी सम्वत 2073–2075 के खाता संख्या 297 खसरा नम्बर 210/1.16, 211/0.51, 432/0.57, 433/0.54, 441/1.00 कुल किता 5 कुल रकबा 3.78 है0 भूमि में राधाकिशन उर्फ बिशना पुत्र मोती हिस्सा 9/40 दर्ज रिकॉर्ड है व खाता संख्या 333 आराजी खसरा नम्बर 207/0.51 है0 वाके ग्राम बैरेर भूमि में बिशना उर्फ राधाकिशन पुत्र मोती हिस्सा 1/40 दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि प्रार्थी के समस्त दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशनकार्ड इत्यादि में प्रार्थी का नाम राधाकिशन पुत्र मोतीराम अंकित है। किसी भी दस्तावेज में इनका नाम बिशना अंकित नही है। मौके पर उपस्थित लोगो व सहखातेदारों ने भी प्रार्थी का शुद्व नाम राधाकिशन पुत्र मोतीराम बताया है। इनकों गांव में भी राधाकिशन के नाम से जाना जाता है अतः प्रार्थी का शुद्व नाम राधाकिशन पुत्र मोतीराम ही है।"

वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज हाल जमाबन्दी सम्वत 2073–2075 खाता संख्या 297 व 333, जमाबन्दी सम्वत 2069–2072 खाता संख्या 271 व 298, आधार कार्ड, राशनकार्ड, वोटर लिस्ट, भामाशाह कार्ड, शपथ पत्र, ग्राम पंचायत रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया। तहसीलदार रैणी की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। जैसा कि रिपोर्ट तहसीलदार रैणी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थी के सही होने की पुष्टि की है तथा प्रस्तुत रिपोर्ट से भी यह तथ्य साबित होता है कि प्रार्थी राधाकिशन मीना ही है। इसप्रकार तहसीलदार रैणी की जॉच रिपोर्ट व प्रार्थी की और से पुष्टि में प्रस्तुत उक्तानुसार दस्तावेज से प्रार्थी का नाम राधाकिशन उर्फ बिशना व बिशना उर्फ राधाकिशन के स्थान पर राधाकिशन मीना होने की पुर्णरूप से पुष्टि होती है। तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार रैणी को निर्देश दिये जाते है कि आराजी खसरा नम्बर 210/1.16, 211/0.51, 432/0.57, 433/0.54, 441/1.00 कुल किता 5 कुल रकबा 3.78 है0 व आराजी खसरा नम्बर 207/0.51 है0 वाके ग्राम बैरेर तहसील रैणी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम राधाकिशन उर्फ बिशना व बिशना उर्फ राधाकिशन के स्थान पर राधाकिशन मीना दर्ज करते हुए बिशना नाम को हजफ किया जावे। निर्णय प्रति तहसीलदार रैणी को भिजवायी जावे। शेष इन्द्राज यथावत रखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित/मुद्राकिंत कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार सिंघल)
उपखण्ड अधिकारी
रैणी (अलवर)